

सं. 01/01/2025- रा.भा. (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 25.09.2025

कार्यालय ज्ञापन

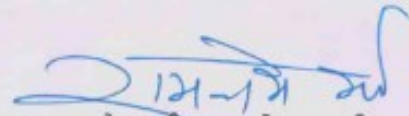
विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग (सीएसओएलएस) के भर्ती नियम, 2021 में संशोधन हेतु सुझाव के संबंध में।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के भर्ती नियम, 2021 की अनुसूची-III, श्रेणी-4 (सहायक निदेशक) के लिए लागू भर्ती की पद्धति में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है:

वर्तमान	प्रस्तावित
75% प्रोन्नति द्वारा 25% सीधी भर्ती द्वारा (75% by promotion) (25% by direct recruitment)	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (By promotion, failing which by Deputation, failing both by Direct Recruitment)

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/61/2008-स्था. (यू.आर.), दिनांक 24.09.2014 के अनुपालन में भर्ती नियम में किए जा रहे संशोधन को अधिसूचित करने से पूर्व सभी स्टेकहोल्डर से सुझाव मंगवाए जाने हैं।

3. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के भर्ती नियम, अनुसूची-3, श्रेणी-4 (सहायक निदेशक) के लिए लागू भर्ती की पद्धति से संबंधित संशोधन से पूर्व, सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अपना सुझाव, यदि कोई हो, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को भिजवा दें। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा तदनुसार भर्ती नियम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सुझाव ईमेल आईडी- Santosh.gupta89@nic.in पर भी भेजा जा सकता है।



(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक (सेवा)

दूरभाष- 011-23438129

सेवा में,

- केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी हितधारक।
- निदेशक, एनआईसी। कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।